न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 28/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायंस असेट रिकंसट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी योगेन्द्र सिंह **पंजीकृत कार्यालयः–** 11वीं फलोर, नोर्थ साईड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव, (पूर्व), मुम्बई महाराष्ट्र–400063

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **रफीक खा पुत्र सुवराती खा,** पता–171, मौहल्ला छिपो का रायपुर, जागीर, नीमकाथाना, राजस्थान–322701
2. **पप्पन बानू पत्नी रफीक खा,** पता–171, मौहल्ला छिपो का रायपुर, जागीर, नीमकाथाना, राजस्थान–322701
3. **रसीद खा पुत्र सुवराती खा,** पता–171, मौहल्ला छिपो का रायपुर, जागीर, नीमकाथाना, राजस्थान–322701
4. **रमजान खा पुत्र छुटन खा,** पता–171, मौहल्ला छिपो का रायपुर, जागीर, नीमकाथाना, राजस्थान–322701
5. **सोनू खा पुत्र सुवराती खा,** पता– रायपूर, जागीर, नीमकाथाना, राजस्थान–322701
6. **हाजरा बानू पत्नी सुवरती खा,** पता– रायपूर, जागीर, नीमकाथाना, राजस्थान–322701

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांकः– 24 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **रफीक खा पुत्र सुवराती खा, पप्पन बानू पत्नी रफीक खा, रसीद खा पुत्र सुवराती खा, रमजान खा पुत्र छुटन खा, सोनू खा पुत्र सुवराती खा** एवं **हाजरा बानू पत्नी सुवरती खा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रफीक खा पुत्र सुवराती खा, रसीद खा पुत्र सुवराती खा एवं सोनू खा पुत्र सुवराती खा** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 10, ग्राम पंचायत–रायपुर, जागीर, पंचायत समिति नीमकाथाना जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 69.33 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में रूडमल शिखा का मकान, दक्षिण दिशा में इम्माउदीन का मकान, पूरब दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में छुटटन खान का मकान है जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। उक्त सम्पत्ति को बंधक बनाकर **₹2,50,000/– (अक्षरे रूपये दो लाख पचास हजार)** एवं **₹1,10,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख दस हजार) कुल ₹3,60,000/– (अक्षरे रूपये तीन लाख साठ हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **03.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **03.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **रफीक खा पुत्र सुवराती खा, पप्पन बानू पत्नी**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रफीक खा, रसीद खा पुत्र सुवराती खा, रमजान खा पुत्र छुटन खा, सोनू खा पुत्र सुवराती खा एवं **हाजरा बानू पत्नी सुवरती खा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रफीक खा पुत्र सुवराती खा, रसीद खा पुत्र सुवराती खा एवं सोनू खा पुत्र सुवराती खा** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 10, ग्राम पंचायत–रायपुर, जागीर, पंचायत समिति नीमकाथाना जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 69.33 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में रूडमल शिखा का मकान, दक्षिण दिशा में इम्माउदीन का मकान, पूरब दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में छुटटन खान का मकान है जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **24 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर